

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

मुख्यमंत्री श्री शवराज सिंह चौहान ने संबल हितग्राहियों को अनुग्रह सहायता प्रदान की

रतलाम 04 अप्रैल । प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 16ए844 मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के हितग्राहियों को अनुग्रह राश रूपये 379 करोड रुपए हितलाभ वनक्लिक के माध्यम से उनके खातों में अंतरित की। रतलाम नगरीय क्षेत्र के 58 हितग्राही लाभान्वित हुए जिसमें से 54 हितग्राहियों को 2.2 लाख व 4 हितग्राहियों को 4.4 लाख की राश का हितलाभ प्राप्त हुआ।

वर्चुअली आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लाभ प्रदान कर 'आपका संबल-आपकी सरकार' के तहत हितग्राहियों से संवाद किया। रतलाम एन आई सी कक्ष में अधिकारी व हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री के संवाद को देखा व सुना।

इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपायुक्त नगर निगम श्री विकास सोलंकी सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया श्रम वभाग के अधिकारी आदि उपस्थित थे।

होम आईसोलेशन मरीजों को मेडसन कट का वतरण

497 मरीजों को कया मेडसन कट का वतरण

रतलाम 03 मई। को वड-19 संक्रमण में होम आईसोलेशन के मरीजों को मेडसन कट व स्वास्थ्य वभाग के निर्देशों की प्रति की होम डलेवरी कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा वार्ड वार गठित दलों द्वारा मरीजों के घर जाकर मेडसन कट प्रदान की।

ई-दक्ष केन्द्र रतलाम से 03 मई सोमवार को होम आईसोलेशन के मरीजों की सूची स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह ने प्राप्त कर जिला अस्पताल के स्टोर से 236 मेडसन कट प्राप्त कर निगम के अग्निशमन वभाग में उपलब्ध कराई। अग्निशमन वभाग से वार्ड वार गठित दलों वतरण हेतु उपलब्ध कराई गई।

वाई वार गठित दलो द्वारा होम आईसोलेशन के मरीजो के घर-घर जाकर मे डकल कट का वतरण कया गया जिसके तहत सूची अनुसार 181 मरीजो को मे डकल कट का वतरण घर पर कया गया। 21 मरीज उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती होना पाया गयाए 14 मरीजो के कान्टेक्ट नम्बर व पते गलत पाये गये तथा 11 मरीज नगरीय सीमा क्षेत्र के बाहर से होना पाया गया व 8 मरीजो को पूर्व से ही मे डसन कट प्राप्त होना पाया गया।

इसी तरह 03 मई की दूसरी सूची अनुसार 316 मरीजो को मे डकल कट का वतरण घर पर कया गया। 16 मरीज उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती होना पाया गयाए 30 मरीजो के कान्टेक्ट नम्बर व पते गलत पाये गये तथा 22 मरीज नगरीय सीमा क्षेत्र के बाहर से होना पाया गया व 23 मरीजो को पूर्व से ही मे डसन कट प्राप्त होना पाया गया।

नगर में प्रतिदिन कया जा रहा है सेनेटाईजेशन

नगर के व भन्न क्षेत्रों को फायर लॉरी से कया सेनेटाईज

रतलाम 04 मई। रतलाम नगर के नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने हेतु जिला कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार निगम के व भन्न वाहनों के माध्यम से सो डयम हाईपोक्लोराईड से सेनेटराईज कया जा रहा है साथ ही माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्रों में भी हैण्ड मशीन से सेनेटाईजेशन कया जा रहा है।

नगर निगम द्वारा प्रतिदिन फायर लॉरी व टेक्टर ट्रॉली से नगर के व भन्न क्षेत्रों की सड़कों गलियों भवन आदि को 1 प्रतिशत सो डयम हाईपोक्लोराईड मलाकर 1 लाख लीटर से सेनेटराईज कया जा रहा है। 04 मई को फायर लॉरी व टेक्टर ट्रॉली से मे डकल कालेजए भक्तन की बावडीए त्रिवेणी मुक्तिधामए जवाहर नगर मुक्तिधामए बाजना बस स्टैण्ड चौराहाए तहसील कार्यालयए तिरूपति नगरए दीपक नगरए राज टॉवरए वष्णु वला टॉवरए दो मुंह की बावडी सीतला माता मंदिर से बावडी तकए शक्ति नगर सहित नगर के व भन्न क्षेत्रों में सेनेटाईजेशन

कया गया। इसके अलावा 14 व्यक्तियों की टीम द्वारा हैण्ड मशीन के माध्यम से मे डकल कॉलेज ए माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्र ए कलेक्टोरेट ए ई-दक्ष कार्यालय ए नगर निगम कार्यालय सहित शासकीय कार्यालयो आदि में सेनेटराईजेशन का कार्य कया गया।

नगर के सेनेटराईज कये जाने के साथ ही स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में सफाई का कार्य कया जा रहा है व सफाई उपरान्त सफाई स्थल व नालयों में कीटनाशक दवा का छिड़काव कया जा रहा है।

स्थायीकर्मि मनोज राठौर सेवा से बर्खास्त

रतलाम 04 मई । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम के लोक निर्माण वभाग में कार्यरत स्थायीकर्मि मनोज-नन्द कशोर राठौर द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की श्रमक डायरी को अन्य समयपाल की टेबल उठा लये जाने व एक माह बाद बिना जांच के वापस रख दिये जाने पर सेवा से बर्खास्त कया।

स्थायीकर्मि मनोज राठौर द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर की 04 श्रमक डायरी को इन्त्य समयपाल की टेबल से उठा लये जाने तथा एक माह पश्चात बिना जांच के वापस रख दिया गया जब क उक्त कार्य स्थायीकर्मि समयपाल श्री राजेश सोलंकी व उपयंत्री श्री राजेश पाटीदार के वार्ड क्षेत्र का है। पूर्व में भी मनोज राठौर द्वारा इस प्रकार की त्रुटि की जा चुकी है इस संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया कन्तु मनोज राठौर द्वारा सूचना पत्र का उत्तर भी नहीं दिये जाने पर सेवा से बर्खास्त कया गया।

मे डकल कॉलेज में ऑक्सीजन सलेण्डर सप्लाय निरंतर जारी

रतलाम 04 मई। शासकीय मे डकल कॉलेज में उपचारत् को वड-19 के मरीजों को कसी भी प्रकार से ऑक्सीजन की कमी ना हो इस हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक श्री गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार मालवा व महावीर ऑक्सीजन से सलेण्डर मे डकल कॉलेज में पहुंचाने का कार्य प्रतिदिन निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा नियुक्त अधिकारी

एवं कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है साथ ही इस कार्य में सतत निगरानी भी रखी जा रही है।

नगर निगम द्वारा ऑक्सीजन सलेण्डर सप्लाय के अलावा मेडिकल कॉलेज के सुवधाघरों की सफाई के कार्य पर निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है इसके अलावा प्रतिदिन मेडिकल कॉलेज में सेनेटाइजेशन के कार्य हेतु कर्मचारी नियुक्त किया गया है जो मेडिकल कॉलेज के अंदर व बाहर सेनेटाइजेशन का कार्य संपादित कर रहे हैं।

मास्क नहीं लगाने पर 3 व बेवजह घूमने पर 7 व्यक्तियों पर जुर्माना रतलाम 04 मई। कलेक्टर एवं प्रशासक श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार कोवड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के संक्रमण को रोकने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में मास्क नहीं लगाने व बेवजह घूमने वाले व्यक्तियों पर नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत नगर के व भन्न स्थानों पर 3 ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था उन पर 100.100 रुपये का जुर्माना कर मास्क लगाने की समझाईश दी गई। इसके अलावा बेवजह घूमने वाले 7 व्यक्तियों पर 100.100 रुपये का जुर्माना किया गया।

म.प्र. लोक स्वास्थ्य अधिनियम-1949 के अन्तर्गत कोवड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। उक्त बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। उक्त बीमारी की रोकथाम हेतु शासन द्वारा मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है। नागरिकों से अपील है कि वे अनिवार्य रूप से मास्क लगायें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

गीला व सूखा कचरा सीधे जायेगा बिरियाखेड़ी ट्रांसफर स्टेशन  
तीन ट्रांसफर स्टेशनों को कया बंद

रतलाम 04 मई। निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से एकत्रित कये गये गीले व सूखे कचरे को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार अमृत सागर ए पोलोग्राउण्ड ए ईश्वर नगर ट्रांसफर स्टेशनों पर नहीं ले जाते हुए सीधे बिरियाखेड़ी ट्रांसफर स्टेशन पर ले जाया जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने स्वास्थ्य अधकारी ए झोन प्रभारी ए वार्ड प्रभारी ए कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर व हैल्परों को निर्देशित किया है क वे घर-घर से एकत्रित कये गये गीले एवं सूखे कचरे को पृथक-पृथक अवस्था में अमृत सागर ए पोलोग्राउण्ड ए ईश्वर नगर ट्रांसफर स्टेशनों पर नहीं ले जाते हुए सीधे बिरियाखेड़ी ट्रांसफर स्टेशन पर ले जाया जायेगा जहां 1 काम्पेक्टर में गीला व दूसरे काम्पेक्टर में सूखा कचरा डाला जायेगा। काम्पेक्टर द्वारा पृथक-पृथक कचरे को जुलवानिया प्रोसेसिंग यूनिट पर लाया जायेगा जहां कचरे का वजन के उपरांत गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक निर्धारित स्थान पर डाला जायेगा। जहां पर रैग पकर्स महिलाओं द्वारा सूखे कचरे में से पुस्टा ए अखबार ए लोहा ए कपड़ा ए शाल ए कांच ए पै कंग मटेरियल ए टुटे खलौने ए प्लास्टिक आदि को पृथक किया जावेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिये है क यदि कोई भी कर्मचारी ट्रांसफर स्टेशन पर कचरा डालते पाया गया तो सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 04 मई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर ए हैल्पर ए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है क वे नगर के प्रत्येक घर ए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें

अन्यथा ड्रायवरण हैल्परण वार्ड प्रभारी व संबं धत झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशत कया यदि कसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबं धत कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशत कया क प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशत कया क दोनो पालकों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशत कया है क वे प्रतिदिन प्रमाणत करेंगे क उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेश्यों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

805 मवेश्यों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 04 मई । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोंए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेश्यों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेश्यों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेश्यों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 04 मई तक

शहर के व भन्न क्षेत्रों से 805 मवेश्यों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 04 मई को चांदनी चौक व चौड़ावास से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का वक्रय व उपयोग करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 04 मई। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-नालयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में वराट मेहराए उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त किया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले में नाले-ना लयों में कचरा डालते हैं व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते हैं उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते हैं उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे। नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 04 मई । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबंधतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/अ.सं. व. हेमन्त/04ण05ण2021धन.पा.निगमए रतलाम.